

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर (ग्रा)

मुकदमा संख्या :- /20

किसी प्रकार से आपत्ति नहीं किये जाने से एवं कुर्रैजात राज
मंडल के नियमानुसार बनाये जाने से दावा वादी मुताबिक कुर्रैजा
रिपोर्ट अनुसार अन्तिम डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।

अतः वादी का वाद स्वीकार कर मुताबिक विभाजन प्रस्ता
अन्तिम डिक्री किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ता
के अनुसार खाता व लगान पृथक पृथक किया जावें। नक्शा
विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री के पार्ट रहेंगे। निर्णय अनुसार
डिक्री जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा
जावें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

4
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर) जयपुर